निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
128 / 2023	20.7.2023	20/1/26

रामचरण पुत्र गुलाब, मीना निवासी परीता तह0 करौली ——प्रार्थी

बनाम

1. विमला देवी पत्नी बृजलाल, मीना निवासी परीता तह0 करौली
2. फाबूला पुत्र किशोरी, बैरवा निवासी परीता तह0 करौली
3. रामधन पुत्र चौथ्याराम, बैरवा निवासी परीता तह0 करौली
4. रामसहाय पुत्र मिश्रा, बैरवा निवासी परीता तह0 करौली
5. हरिचरण पुत्र किशोरी, बैरवा निवासी परीता तह0 करौली
6. मोहन पुत्र सूरज, भट्ट, निवासी परीता तह0 करौली
7. अशोकर पुत्र राजूलाल, मीना, निवासी परीता तह0 करौली
8. दिनेशचंद पुत्र राजूलाल, मीना निवासी परीता तह0 करौली

6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राज0 अधिनियम

उपस्थित :—श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0न0 3412 रकबा 0.60 है0, ख0न0 5570 / 3413 रकबा 0.27 है0, ख0न0 5660 / 3413 रकबा 0.07 है0, ख0न0 5706 / 3415 रकबा 0.025 है0, ख0न0 5708 / 5571 रकबा 0.02 है0 ग्राम वजीरपुर तह0 वजीरपुर मे स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदारी के रूप मे काबिज है एवं प्रार्थी का कब्जा काश्त है। भूमि पर अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पूर्व दिशा मे रास्ता है, पश्चिम मे अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि है उत्तर दिशा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:30:51 IST
Reason: SelfAttested

मे अप्रार्थी संख्या 6, 8, 9 की कृषि भूमि तथा दक्षिण दिशा मे 2 ता 5 की भूमि है। प्रार्थी के पडौसी खातेदारान आये प्रार्थी को अपनी भूमि के कब्जे काश्त मे तंग परेशान करते है। अप्रार्थी संख्या 1 अपनी भूमि मे पेट्राल पम्प खोल कर व्यापार करने का इरादा है दिनांक 8.7.23 को अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी दी कि मेरी कृषि भूमि से सटवा जो तुम्हारी मेड हे उसको मै सीधी करके बाउन्डरी बाल करूगा तथा अन्य पडौसी खातेदार भी आये दिन प्रार्थी की डौल मेड को तोडकर अपनी भूमि मे मिलाने की फिराक मे रहते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 3412 रकबा 0.60 है0, ख0न0 5570/3413 रकबा 0.27 है0, ख0न0 5660/3413 रकबा 0.07 है0, ख0न0 5706/3415 रक़बा 0.025 है0, ख0न0 5708/5571 रकबा 0.02 है0 ग्राम वजीरपुर तह0 वजीरपुर का सीमाज्ञान करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवायी जावे

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2076 से 2079 खाता संख्या 546, 727, 672, 393, 117 ग्राम श्यारौली, फोटोकोपी पर्चा मौका दिनांक 21.5.2024 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है।

तहसीलदार वजीरपुर द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 2.6.2023 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को उसकी भूमि ख0न0 3412 रकबा 0.60 है0, ख0न0 5570/3413 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:30:51 IST
Reason: SelfAttested

0.27 है0, ख0न0 5660/3413 रकबा 0.07 है0, ख0न0 5706/3415 रकबा 0.025 है0, ख0न0 5708/5571 रकबा 0.02 है0 ग्राम वजीरपुर का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थी का पडौसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 3412 रकबा 0.60 है0, ख0न0 5570/3413 रकबा 0.27 है0, ख0न0 5660/3413 रकबा 0.07 है0, ख0न0 5706/3415 रकबा 0.025 है0, ख0न0 5708/5571 रकबा 0.02 है0 ग्राम वजीरपुर तह0 वजीरपुर की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख0न0 3412 रकबा 0.60 है0, ख0न0 5570/3413 रकबा 0.27 है0, ख0न0 5660/3413 रकबा 0.07 है0, ख0न0 5706/3415 रकबा 0.025 है0, ख0न0 5708/5571 रकबा 0.02 है0 ग्राम वजीरपुर तह0 वजीरपुर पर पत्थरगढी करावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधारानी मीना)
उपजिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:30:51 IST
Reason: SelfAttested